प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ओ0एम0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल,
हसायन, हाथरस।

पत्रांकः 18407 /2016–17 दिनांकः 03/01/2017

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके तारीख **30.08.2016** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं– **ओ0एम0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल, हसायन, हाथरस** को तारीख **01.04.2016** से तारीख **31.03.2019** तक तीन वर्ष की अवधि के लिये **कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपाबंध–2)के उपबंधो का पालन करेगा ।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उवबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

(1)–प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(2)– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा ।

(3)–प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)–प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5)–अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।

(6)–अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतांए अर्जित करेंगे ।

(7)–अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है, और

(8)–अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो मे नियोजित नही करेगा ।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।

9–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओ या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिये किया जाता है

10–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

11–स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है ।

12–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

13–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबधो शर्तो के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

14–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

15–सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

16–विद्यालय में अनियमितता पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

भवदीय

(रेखा सुमन)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।

पृ0सं0: /2016–17 तददिनांक।

प्रतिलिपि: खण्ड शिक्षा अधिकारी,हसायन जनपद हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हाथरस।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,हाथरस।

पत्रांक/ 5241 /2018–19 दिनांक 24 जून, 2019

प्रबन्धक,
ओ0एम0बी0 इन्टरनेशनल स्कूल,
हसायन, हाथरस।

आप द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2019 के क्रम में सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79–6– 2013–18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक, 08 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–18 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक : 08 मई, 2013 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार **"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यमा तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"**

उक्तानुसार संसूचित होना चाहें।

(हरीशचन्द्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हाथरस।